



प्रेस विज्ञप्ति

29-09-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स रंजीत ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रंजीत मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष 23.09.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 26.09.2025 को धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है।

इससे पहले, ईडी ने दिनांक 16.09.2025 को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत भोपाल स्थित 27.30 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

ईडी ने सीबीआई, एसटीबी, भोपाल द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई द्वारा कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया।

ईडी की जाँच से पता चला है कि आरोपियों ने कैश क्रेडिट लिमिट का लाभ उठाकर बैंक ऑफ बड़ौदा से 34.36 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। जाँच से पता चला है कि आरोपियों ने शुरुआत में वर्ष 2010 में *दुर्भावनापूर्ण* तरीके से 7.50 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट का लाभ उठाया था। वर्ष 2015 में यह सीमा धीरे-धीरे बढ़ाकर 42 करोड़ रुपये कर दी गई थी। ईडी की जाँच में यह भी पता चला कि जिन धनराशियों का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाना था, उन्हें कंपनी की सहयोगी कंपनियों में भेज दिया गया। उक्त डायवर्ट की गई धनराशि का इस्तेमाल कुर्क की गई संपत्ति के अधिग्रहण और कुर्क की गई संपत्ति के विकास के लिए लिए गए ऋण के भुगतान में किया गया।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।